न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 456 / 2021

अनवान : –

1. हेतराम पुत्र मोटाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी सरदापुरा तहसील रावतसर।

– वादी

बनाम्

1. पृथ्वीराम पुत्र मलुराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी सरदारपुरा तहसील रावतसर।
2. बृजलाल पुत्र मलुराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी सरदारपुरा तहसील रावतसर।
3. रामकुमार पुत्र मलुराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी सरदारपुरा तहसील रावतसर।
4. साहबराम पुत्र मलुराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी सरदारपुरा तहसील रावतसर।
5. रामप्यारी पुत्री मलुराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी सरदारपुरा तहसील रावतसर।
6. सावत्री देवी पुत्री मलुराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी सरदारपुरा तहसील रावतसर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– असल प्रतिवादीगण

8. कृष्णराम पुत्र मोटाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी सरदारपुरा तहसील रावतसर।
9. राधेश्याम पुत्र मोटाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी सरदारपुरा तहसील रावतसर।
10. सतपाल पुत्र मोटाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी सरदारपुरा तहसील रावतसर।

– तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री राजपाल झोरड़ अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 25/4/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि मलुराम व मोटाराम की रोही मौजा चक 2 टीकेएम थालड़का तहसील नोहर के खाता संख्या 129 / 99 की कुल 2.0240 हैक्ट व रोही मौजा चक 8 टीकेएम सरदारपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 90 / 76 की कुल 3.0990 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा चक 21 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 118 / 99 की कुल 5.0660 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा चक 8 केएम सरदारपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 62 / 46 की कुल 10.1810 हैक्ट भूमि स्थित है।

वादी के पिता व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 के पिता मृतक रूकमा देवी के पति ने अपने जीवनकाल में ही अपना खाता विभाजन करवाया मगर खाता विभाजन में भूमि कम ज्यादा हो गयी तथा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 8 ता 10 ने चक 5 केएम के खाता संख्या 92 / 46 में अपना हक प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 के पक्ष मे छोड़ दिया तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 ने चक 8 केएम में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 8 ता [illegible] पक्ष में छोड़ दिया तथा चक 2 टीकेएम तहसील नोहर के खाता संख्या 129 / 99 में प्रतिवादीगण [illegible] ता 6 का नाम सहवन से रह गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:14:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

खाता संख्या 129/99 में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 अपना हक छोड़ते है तो वादी व प्रतिवादीगण संख्या 8 ता 10 के हिस्सा में 10.183 हैक्ट भूमि होती है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 के हिस्सा में 10.181 हैक्ट भूमि होती है अर्थात मलुराम व मोटाराम के वारिसान बहिब भूमि दर्ज होती है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 ता 6 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की रोही मौजा 2 टीकेएम तहसील नोहर के खाता संख्या 129/99 में दर्ज प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 व मृतक रूकमा देवी पत्नी मलुराम का नाम कलमजन कर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 8 ता 10 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 3 व 6 ने न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को काई एतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 7 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 4 व 5 को सम्यक नोटिस तामिल होने के उपरान्त भी उपस्थित नही अतः प्रतिवादीगण संख्यां 4 व 5 के खिलाफ एकपक्षीयक कार्यवाही अमल में लायी गयी।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है वादी के पिता व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 के पिता मृतक रूकमा देवी के पति ने अपने जीवनकाल में ही अपना खाता विभाजन करवाया मगर खाता विभाजन में भूमि कम ज्यादा हो गयी तथा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 8 ता 10 ने चक 5 केएम के खाता संख्या 92/46 में अपना हक प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 के पक्ष मे छोड़ दिया तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 ने चक 8 केएम में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 8 ता 10 के पक्ष में छोड़ दिया तथा चक 2 टीकेएम तहसील नोहर के खाता संख्या 129/99 में प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का नाम सहवन से रह गया। खाता संख्या 129/99 में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 अपना हक छोड़ते है तो वादी व प्रतिवादीगण संख्या 8 ता 10 के हिस्सा में 10.183 हैक्ट भूमि होती है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 के हिस्सा में 10.181 हैक्ट भूमि होती है अर्थात मलुराम व मोटाराम के वारिसान बहिब भूमि दर्ज होती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:14:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 व 6 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड साक्ष्य सबुतों के आधार पर साबित होने है अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 2 टीकेएम तहसील नोहर के खाता संख्या 129/99 में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 व मृतक रूकमा देवी पत्नी मलुराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 8 ता 10 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25/04/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनायां गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:14:21 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 456/2021

अनवान : –

1. हेतराम पुत्र मोटाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी सरदापुरा तहसील रावतसर।

– वादी

बनाम्

1 पृथ्वीराम पुत्र मलुराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी सरदारपुरा तहसील रावतसर।
2. बृजलाल पुत्र मलुराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी सरदारपुरा तहसील रावतसर।
3. रामकुमार पुत्र मलुराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी सरदारपुरा तहसील रावतसर।
4. साहबराम पुत्र मलुराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी सरदारपुरा तहसील रावतसर।
5. रामप्यारी पुत्री मलुराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी सरदारपुरा तहसील रावतसर।
6. सावत्री देवी पुत्री मलुराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी सरदारपुरा तहसील रावतसर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– असल प्रतिवादीगण

8. कृष्णराम पुत्र मोटाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी सरदारपुरा तहसील रावतसर।
9. राधेश्याम पुत्र मोटाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी सरदारपुरा तहसील रावतसर।
10. सतपाल पुत्र मोटाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी सरदारपुरा तहसील रावतसर।

– तरतीबी प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 456 सन 2021 निर्णय दिनांक – 25/04/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री राजपाल झोरड़ एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वाद मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 2 टीकेएम तहसील नोहर के खाता संख्या 129/99 में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 व मृतक रूकमा देवी पत्नी मलुराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादीगण संख्यां 8 ता 10 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 25/04/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:14:21 IST
Reason: SelfAttested